बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

02 चैत, 1939 (श.)

वृहस्पतिवार, तिथि ----------

23 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 27

1.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	07
2.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	04
3.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	....	....	01
4.	समाज कल्याण योजना विभाग	....	....	02
5.	जल संसाधन विभाग	....	....	07
6.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	02
7.	योजना एवं विकास विभाग	....	....	02
8.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	01
9.	पर्यावरण एवं वन विभाग	....	....	01

			कुल योग –	**27**

थाना भवन निर्माण कबतक

अ* 106. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट थाना का भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में उक्त थाने के भवन में पुलिसकर्मियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार कबतक उक्त थाने का भवन निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

सिंचाई से वंचित

* 321. **डॉ. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिला के डुमरिया प्रखंड अन्तर्गत पंचायत लुहुआ ग्राम-कोठिलवा में कोठीताना स्थान पर बांध नहीं रहने से दर्जनों गांव के किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच पा रहा है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु कोठिलवा स्थान पर बांध का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

बंद पड़े नलकूप चालू कबतक

* 322. **श्री मंगल पाण्डेय** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

अ* दिनांक 06 मार्च, 2017 ई. से स्थगित।

(क) क्या यह सही है कि लघु जल संसाधन विभाग ने सात जिलों हाजीपुर, समस्तीपुर, बक्सर, सीतामढ़ी, सिवान, बेतिया और भोजपुर में बंद पड़े पुराने नलकूपों को पटवन सीजन से पूर्व दुरुस्त करने के लिए 4.23 करोड़ रुपये खर्च कर उपरोक्त जिलों में बंद पड़े राजकीय नलकूपों को चालू करने की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या यह सही है कि रब्बी-खरीफ फसल की सिंचाई में बाधा नहीं पड़े, इस हेतु बंद पड़े नलकूपों को दुरुस्त कर सिंचाई सुविधा के लिए यह राशि स्वीकृत की गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो आवंटित राशि से सभी सात जिलों के बंद पड़े नलकूपों को समय रहते ठीक कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

थाना का स्थानांतरण

***** 323. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत विजयीपुर थाना का भवन किराये पर चलता है और वह भवन क्षतिग्रस्त अवस्था में है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त थाने का नया भवन विगत कई वर्षों से माडर घाट के पास बनकर तैयार है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक नये भवन में थाना का स्थानांतरण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

लगाम लगाने हेतु कार्रवाई

***** 324. **श्री लाल बाबू प्रसाद** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि बिहार में महादलितों पर अत्याचार में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में 4 हजार 821 दलितों पर अत्याचार हुए, जबकि वर्ष 2015 में दलित-महादलित उत्पीड़न के 7 हजार 874 मामले रिकार्ड किए गए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सिमरी बख्तियारपुर में दलितों के घर जलाने की घटना से दलितों में आक्रोश है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार महादलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों पर लगाम लगाने हेत कार्रवाई करना चाहती है तथा दोषियों को दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

वृद्धाश्रम का उद्घाटन

***** 325. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला के खगौल के गाड़ीखाना (डाकबंगला मैदान) स्थित वृद्धाश्रम भवन का करीब पांच वर्षों से उद्घाटन नहीं किया गया है और भवन अब जर्जर होने लगा है;

(ख) क्या यह सही है कि घर वालों से उपेक्षित बुजुर्गों के लिए प्रदेश में तीन वृद्धाश्रम में से यह एक है जिसका निर्माण कराया गया है और अभी वहां असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वृद्धाश्रम का उद्घाटन करते हुए इसे चालू कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

योगदान हेतु आदेश

***** 326. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि महेश ठाकुर, पिता-स्व. रामदेव ठाकुर कोशी योजना से विस्थापित एवं पीड़ित हैं जो साकिन-बैरिया वभनी, थाना व जिला-सुपौल बांध के किनारे बसे हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्रांक-156 वि.स., दिनांक 02.4.87 में निहित आदेशानुसार कोशी परियोजना के विस्थापितों की नियुक्ति हेतु जल संसाधन विभाग के ज्ञापांक-235, दिनांक 13.11.1989 द्वारा भू-अर्जन एवं पुनर्वास निदेशालय के अन्तर्गत गठित स्थापना समिति की अनुशंसा पर महेश ठाकुर, पिता-स्व. रामदेव ठाकुर को जल संसाधन कार्यालय आदेश ज्ञापांक सं.-172 गो., दिनांक 15 जून, 1989 को वेतनमान 535-765 रुपये में मापक के पद पर विशेष भू-अर्जन कार्यालय, आरा में रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार महेश ठाकुर, मापक के पद पर नियुक्त होने तथा हटाने को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश CWJC सं.-2075/2012 के आलोक में योगदान स्वीकृति हेतु आदेश देना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दोषी लोगों पर कार्रवाई

***** 327. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत कंकड़बाग थाना कांड सं.-734/16 में श्री रामेश्वर राय, वल्द स्व. सकलदेव राय, ग्राम+पो.-सिकटी भीखस, थाना-मशरक, जिला - सारण के पुत्र अवनीश कुमार की मृत्यु 21.12.2016 को चांदमारी रोड स्थित उपेन्द्र सिंह के मकान में हो गई। मृतक अपने दोस्तों के साथ उक्त स्थान में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी करता था (दैनिक हिन्दुस्तान में दिनांक 29 दिसंबर, 16 ई. को प्रकाशित प्रेस कतरन संलग्न);

(ख) क्या यह सही है कि मृतक के दोस्तों ने, जो साथ रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था, वे लोग जगदीश मेमोरियल अस्पताल में उक्त तिथि को तबीयत खराब होने की स्थिति में ले गये तथा अस्पताल के डॉक्टर ने उसे देखने के बाद मृत घोषित कर दिया;

(ग) क्या यह सही है कि मृतक का पोस्टमार्टम पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया था जिसमें डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में 24 घंटा पूर्व मृत्यु एवं शरीर की विभिन्न जगहों में इंजूरी को दर्शाया है;

(घ) क्या यह सही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने से यह प्रतीत होता है कि मृतक के साथ मृत्यु से पूर्व किसी तरह की साजिश हुई थी, जो अनुसंधान से पता चल जाएगा। लेकिन खंड 'क' में वर्णित थाना कांड संख्या पर अभी तक पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थाना कांड सं.-734/16 का अनुसंधान 1 माह के अन्दर कराकर दोषी लोगों को रिमांड पर लेते हुए कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

डेढुआ पम्प नहर योजना

***** 328. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के संदेश प्रखंड में डेढुआ नहर पंप योजना बनाने का वर्ष 2016-17 में प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना से सैकड़ों गांव के किसान खुशहाल होंगे और आसानी से सिंचाई अपने खेतों में कर सकते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि डेढुआ नहर पंप योजना बनाने के लिए प्राक्कलन सरकार ने बनवाया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार कबतक डेढुआ नहर पंप योजना बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

ठोस कदम उठाने पर विचार

***** 329. **श्री सूरज नंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के बंगलादेश के बॉर्डर एरिया- पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार की तरफ से बिहार में काफी संख्या में लोग घुसपैठ कर आते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या बंगलादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार ठोस कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो कैसे ?

कार्य के अनुरूप मानदेय

***** 330. **श्री रजनीश कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में आंगनबाड़ी सेविका को 3750/- रुपये एवं सहायिका को 1875/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका से बाल विकास परियोजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य विभागों यथा - स्वास्थ्य, सांख्यिकी आदि का भी कार्य लिया जाता है;

(ग) क्या यह सही है कि एक सेविका को 32 प्रकार के अलग-अलग बहियों का संधारण करना पड़ता है;

(घ) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्यों के बदले उनको देय मानदेय पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को उनसे लिए जाने वाले कार्य के अनुरूप मानदेय बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बेरोजगारी भत्ता

***** 331. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 12वीं पास छात्रों, जो रोजगार खोजना चाहते हैं, उनके लिए सहायता भत्ता का शुभारंभ किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार का उद्देश्य यह है कि उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत के बराबर बिहार का जी.ई.आर. किया जाए;

(ग) क्या यह सही है कि स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगारों के लिए राज्य में कोई भत्ता नहीं दिया जाता है;

(घ) क्या यह सही है कि अन्य राज्यों में बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है, ताकि जिस अनुपात से बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको कम किया जा सके;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य में सहायता भत्ता की तरह स्नातक बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

बांध की मरम्मती

***** 332. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि छपरा जिलान्तर्गत प्रखंड पानापुर के सतजोड़ा बाजार से तीन कि.मी. पूरब गंडक नदी का बांध काफी कमजोर हो गया है जिसके कारण बाढ़ का संकट उत्पन्न हो सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध की मरम्मती निर्माण के उपरांत एक बार भी नहीं हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गंडक नदी के बांध को ससमय मरम्मती कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पुल का निर्माण

***** 333. **श्री संतोष कुमार सिंह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि जिला कैमूर के मोहनियां प्रखंड में जगजीवन मुख्य नहर पर लक्ष्मीपुर माइनर पर पुल निर्माण की योजना सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करवाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

मुआवजा का भुगतान

***** 334. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि स्व. राजेन्द्र राम, सहायक शिक्षक, गया दास कबीर उच्च विद्यालय, रसिदचुक मठिया (हुसैनगंज), सीवान को दिनांक 06.02.2017 को अपराधियों द्वारा गोली

मार कर हत्या कर दी गयी, जिसके संबंध में रघुनाथपुर थाना कांड संख्या-19/17, दिनांक 07.02.2017 दर्ज है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कांड में आज तक न तो किसी की गिरफ्तारी हुई है और न पीड़ित परिवार को मुआवजा मिला है और न अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल पायी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार स्व. राजेन्द्र राम की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी तथा स्व. राजेन्द्र राम के आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा का भुगतान तथा अनुकंपा के आधार पर नौकरी कबतक देना चाहती है ?

पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में

***** 335. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि जल निस्सरण प्रमंडल, मोतिहारी के अधीन बगही सुंदरपुर ट्रंक पैनल की विन्दु दूरी 54.1 पर सेतु निर्माण की योजना सरकार के प्रक्रियाधीन है;

(ख) क्या यह सही है कि ट्रंक चैनल 59 पर बगही सुन्दरपुर पुल मरम्मती के अभाव में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड 'क' एवं खंड 'ख' में वर्णित पुलों का निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

नौजवानों की नियुक्ति

***** 336**. श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित कैंटीनों में सेवानिवृत्त कर्मियों को दैनिक मजदूरी के आधार पर संविदा पर नियुक्त किया जाता है, जबकि राज्य में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले युवकों की कमी नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि सेवानिवृत्त कर्मियों की उम्र अधिक रहने के कारण कैंटीन में, जहां शारीरिक श्रम करना पड़ता है, ढंग से काम नहीं कर पाते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार श्रम संसाधन विभाग में सेवा-निवृत्त कर्मियों को पुन: संविदा के आधार पर नियुक्ति बंद कर नये नौजवानों को नियुक्त करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

उत्तर - (क) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10000, दिनांक 10.07.2015 एवं पत्रांक-5742, दिनांक 25.04.2016 के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियुक्त करने का प्रावधान है। तद्नुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में विभाग स्तरीय चयन समिति की बैठक में निर्णय के उपरांत सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर रखा जाता है।

(ख) उत्तर अस्वीकारात्मक है।
सेवानिवृत्त कर्मियों को उनके स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रथमत: 02 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। कार्यक्षमता के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक एक-एक साल के लिए सेवा विस्तार करने का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-10000, दिनांक 10.07.2015 में किया गया है।

(ग) उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
बिहार सचिवालय भोजशाला समूह-'घ' नियमावली, 2017, बिहार सचिवालय भोजशला लिपिकीय संवर्ग नियमावली, 2017 एवं बिहार सचिवालय भोजशाला प्रबंधक नियमावली, 2017 प्रकियाधीन है।

नीलगायों और जंगली सुअरों के प्रकोप

***** 337. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत बख्तियारपुर में हाल ही में आई बाढ़ व नोटबंदी की मार से किसान उबर भी नहीं पाये थे कि जानवरों के आतंक से किसानों की खेती पूर्णत: खराब कर दी है;

(ख) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में आई प्रलयंकारी बाढ़ से निपटने के बाद दियारे के किसानों ने अपनी दयनीय अवस्था में किसी तरह कर्ज लेकर खेतीबारी शुरू की परन्तु इन किसानों की फसल यहां के नील गाय और सुअर बर्बाद कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बख्तियारपुर के दियारा क्षेत्र के काला दियारा, रूपस महाजी, चिरैया रूपस, सतभैया तथा हरदासपुर दियारा पंचायत की 25-30 हजार की आबादी इनसे प्रभावित है;

(घ) क्या यह सही है कि सरकारी स्तर पर इनसे निपटने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है, जिससे बाढ़, नोटबंदी के बाद नीलगायों और जंगली सुअरों के प्रकोप से दियारा व टाल के किसानों की कमर टूट गई है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बख्तियारपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में किसानों की बर्बाद हो रही फसल पर अंकुश लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

आदेश की अवहेलना

***** 338. **डॉ. रामवचन राय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सक्षम न्यायालय, झंझारपुर के आदेश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी के विरुद्ध अंधराठाढ़ी कांड संख्या-130/16, दिनांक 08.11.2016 अंकित किया गया;

(ख) क्या यह सही है कि सक्षम न्यायालय, झंझारपुर ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंधराठाढ़ी के विरुद्ध धारा 156 (3) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने हेतु दिनांक 19.01.2016 को ही अंधराठाढ़ी थानाध्यक्ष को आदेश दिया था, किन्तु दस माह तक अंधराठाढ़ी पुलिस के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर मामले को दबाकर रखा गया तथा आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गई;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस संबंध में कबतक कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?

बंद पड़े नलकूप चालू कबतक

***** 339. **श्री विनोद नारायण झा** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला में एक सौ से अधिक राजकीय नलकूप बंद होने के कारण किसानों को सिंचाई से असुविधाएं हो रही हैं, यदि हां तो उक्त बंद पड़े नलकूपों को चालू कराने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है;

थाना की स्थापना

***** 340. **डॉ. जावेद इकबाल अंसारी** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बांका जिले के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत के पास पर्यटन थाना स्थापित हेतु आरक्षी अधीक्षक कार्यालय, बांका के पत्रांक 8/गोप., दिनांक 4.01.2015 के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पर्यटकों की सुरक्षा के लिए उक्त पर्यटन स्थल के पास पर्यटन थाना की स्थापना का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

तटबंध की मरम्मती

***** 341. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिला अन्तर्गत देकुली बांध से पीपराही बांध तक के तटबंध की स्थिति काफी जर्जर एवं दयनीय है जिसके कारण आमजनों को आने-जाने में काफी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार देकुली बांध से पीपराही बांध तक के तटबंध की मरम्मती ईंट सोलिंग कर कालीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

छिलका का निर्माण

***** 342. **श्री मनोज यादव** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बांका जिला के बेलहर प्रखंड के पंचायत श्रीनगर अंतर्गत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सदर नहर पूर्वी कैनाल 313 चैन से श्रीनगर गांव तक कैनाल को भर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित स्थानों में 7 वर्षों से लगभग 300 एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जनहित में बांका जिला के बेलहर प्रखंड के पंचायत श्रीनगर गांव में सिंचाई की समस्या का समाधान करने हेतु श्रीनगर गांव के समीप पश्चिमी नहर कैनाल में छिलका निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समायोजन का विचार

***** 343. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आपकी सरकार अपने द्वारा योजनान्तर्गत वर्ष 2011 में पंचायत मित्रों का नियोजन संबंधित जिलों के जिला पदाधिकारी द्वारा किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि इन पंचायत मित्रों से मार्च, 2011 से अक्टूबर, 2014 तक निर्वाचन, बी.पी.एल. सर्वेक्षण, इंदिरा आवास सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक जनगणना, राशन-किरासन कार्ड एवं कूपन का वितरण, खाद्य सुरक्षा कार्ड एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण आदि विभिन्न कार्य कराये गये;

(ग) क्या यह सही है कि बिना किसी पूर्व सूचना के सरकार द्वारा इन्हें दिनांक 17.10.2014 के प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया और इसके फलस्वरूप इनके समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इनके समायोजन का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

उड़ाही, सुलिस गेट एवं कैनाल का निर्माण

***** 344. **श्री राज किशोर सिंह कुशवाहा** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा प्रखंड के चिलका सुलिस गेट से जयनगर पंचायत होते धुरधुरा हनुमान नगर पंचायत एवं मधेसरा पंचायत विष्णुपुर बोनाही वाली नहर की उड़ाही एवं सुलिस गेट तथा कैनाल का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***** 345. **श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावां प्रखंड पंचायत के ग्राम अस्थावां में मदरसा मोहम्मदिया के पीछे अवस्थित कब्रिस्तान हदरैया कब्रिस्तान, खलियानी कब्रिस्तान एवं पीर बुरहान कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा इनपर अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त कब्रिस्तानों को अतिक्रमण से मुक्त कराकर घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

***** 346. **श्री चन्देश्वर प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी प्रखंड के नदौल ग्राम के श्री नागेन्द्र प्रसाद, पिता-स्व. हजारी प्रसाद, ग्राम-बैरमचक, पोस्ट-नदौल, थाना-मसौढ़ी, जिला-पटना के मूल निवासी निजी मकान में रहते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि श्री राम नंदन प्रसाद, ग्राम-सेलमपुर, पोस्ट-सेवनन, थाना-जहानाबाद, जिला-जहानाबाद द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद की निजी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर दरवाजा एवं छज्जा निकाल दिया है;

(ग) क्या यह सही है कि स्थानीय पंचों एवं थाना द्वारा निदेश दिये जाने के बावजूद अवैध निर्माण कर रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो निजी जमीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने एवं दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

पटना
दिनांक 23 मार्च, 2017 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्